

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

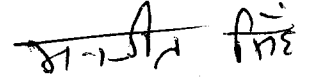
क्रमांक: ला.ब.शा./रा.भा./2019-2020/564

दिनांक 28.08.2019
30

कार्यालयीय आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 के पत्र फ.स.11034-4/2018 (रा.भा.ए.) द्वारा राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

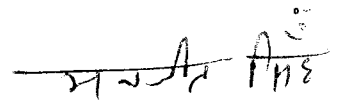
विद्यापीठ के प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजभाषा नियमावली के नियम 8(4) के अनुसार विद्यापीठ में अपना समस्त कार्य हिन्दी भाषा में करें।



सहायक कुलसचिव (प्रशा.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव/समस्त अनुभाग अधिकारी
3. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना का विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
4. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता
5. महिला अध्ययन केन्द्र
6. पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रकाशन विभाग
7. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव



सहायक कुलसचिव (प्रशा.)